रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2831] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 2015/पौष 9, 1937
No. 2831] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 2015/PAUSA 9, 1937

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3552(अ).— तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011, जिसे का.आ. सं. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 को जारी किया गया था, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1741(अ), तारीख 25 जून, 2015 को उसके द्वारा संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव उक्त अधिसूचना को उपलब्ध करवाने की तारीख से, जब राजपत्र की प्रतियां जन साधारण को उपलब्ध कराई गई थी उस तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जन साधारण को 25 जून, 2015 को उपलब्ध कराई गई थी;

केंद्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों की परीक्षा की गई है;

अत: केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 में, -

(क) पैरा 3 में, - उपपैरा (iv) में मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(क) पत्तन, बंदरगाह, जेटी, घाट, जहाजी घाट, जलावतरण-मंच, पुल, सीलिंग, स्टिल्ट पर सड़क, सुधारे हुए धरातल पर सड़क रक्षा और सुरक्षा प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत और अन्य सुविधाओं जो अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है जैसी तटाग्र सुविधाओं की स्थापना, विनिर्माण या आधुनिकीकरण या विस्तार के लिए अपेक्षित:

परंतु ऐसी सड़के विद्यमान हाइ टाइड लाइन तक ऐसी सड़कों के लेंड वार्ड साइड पर विकास अनुज्ञात करने हेतु यथाप्राधिकृत नहीं मानी जाएगी :

परंतु यह और कि किसी औद्योगिक प्रचालन, मरम्मत और अनुरक्षण के सिवाय, सुधारी गई भूमि का उपयोग ऐसे सड़कों के लेंड वार्ड साइड पर सड़कों, मास रैपिड या मल्टीमॉडल ट्रांज़िट प्रणाली, विनिर्माण और स्थापन, ऐसी ट्रांजिट या परिवहन प्रणाली जिसके अंतर्गत वैद्युत या इलैक्ट्रानिक सिगनल प्रणाली, अनुज्ञात डिजाइनों के ट्रांजिट स्टाक ओवर हैं, सभी आवश्यक सहबद्ध जनउपयोगिताओं और अवसंरचना के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी ।";

(ख) पैरा 4 में, उप पैरा (i) में, मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(छ) सीआरजैड क्षेत्र में सुधार द्वारा सड़क का विनिर्माण केवल आपवादिक मामलों में, संबंधित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश पर और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा; और यदि ऐसी सड़क का निर्माण कच्छ वनस्पति में से होकर गुजर रहा हो या कच्छ वनस्पति का संभावित क्षति पहुंचाने वाला हो, विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त कच्छ वनस्पति या काटी गई वनस्पति का तीन गुणा पुन:रोपित किया जाएगा ।";

(ग) उक्त अधिसूचना में, उपाबंध 4 के पश्चात्, प्ररूप - I, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

स्पष्टीकरण – अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, उक्त अधिसूचना में प्रयुक्त "विद्यमान" शब्द से 19 फरवरी, 1991 को जिसमें सीआरजैड अधिसूचना अधिसूचित की गई थी, की विशेषताएं की विनियमितीकरण या संन्नियम विद्यमान होना अभिप्रेत होगा ।

[फा. स. 19-27/2015 – आई ए – III]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई :—

1. का. आ. 2557 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013
2. का. आ. 1244 (अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014
3. का. आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014
4. का. आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015; और
5. का. आ. 556 (अ), तारीख 17 फरवरी,2015;
6. का. आ. 938 (अ), तारीख 31 मार्च, 2015
7. का. आ. 1599 (अ), तारीख 16 जून, 2015

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2015

S.O. 3552(E).—Whereas, a draft notification under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for making certain amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, issued vide number S.O. 19(E), dated the 6th January, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1741(E) dated the 25th June, 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 25th June, 2015;

And whereas, the objections and suggestions received in response to the above draft notification have been examined by the Central Government;

IndiaCode

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Coastal Regulation Zone Notification, 2011, namely:—

In the said Coastal Regulation Zone Notification, 2011 ,-

(a) in paragraph 3, in sub-paragraph (iv), for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

" (a) required for setting up, construction or modernisation or expansion of foreshore facilities like ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges, sealink, road on stilts, road on reclaimed surface, and such as meant for defence and security purpose and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification:

Provided that such roads shall not be taken as authorised for permitting development on landward side of such roads till existing High Tide Line.

Provided further that the use of reclaimed land may be permitted for roads, mass rapid or multimodal transit system, construction and installation, on landward side of such roads, of all necessary associated public utilities and infrastructure to operate such transit or transport system including those for electrical or electronic signal system, transit stopover of permitted designs; except for any industrial operation, repair and maintenance." ;

(b) in paragraph 4, in sub-paragraph (i), after item (f), the following item shall be inserted, namely:

"(g) construction of road by way of reclamation in CRZ area shall be only in exceptional cases, to be recommended by the concerned Coastal Zone Management Authority and approved by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change; and in case the construction of such road is passing through mangroves or likely to damage the mangroves, three times the number of mangroves destroyed or cut during the construction process shall be replanted.";

(c) in the said notification, after Annexure-IV, Form-1, the following shall be inserted, namely:—

Explanation:- For the purpose of the notification, the word "existing" used in the said notification shall mean existence of the features or regularization or norms as on 19th February, 1991 wherein CRZ notification, was notified."

[F. No.19-27/2015-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 19(E) dated the 6th January, 2011 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 2557(E), dated the 22nd August, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015; and
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015.
7. S.O. 1599(E), dated the 16th June, 2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.